राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1793/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
नरेन्द्र कुमार राय 75] स्कीम न0 5] मगंल विहार], Alwar,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस विभाग, जयपुर पूर्व, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 11/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रामलाल, कांस्टेबल, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25-7-17 के द्वारा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या 1989 दिनांक 11-9-13 प्रत्यर्थी कार्यालय में पहुंचा की प्रमाणित प्रतिलिपि, उक्त पत्र की प्राप्ति पंजिका में दर्ज प्रविष्ठी की प्रति आदि के सम्बन्ध में 10 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ। उक्त आवेदन द्वितीय अपील के साथ ही प्राप्त हुआ है। द्वितीय अपील प्राप्त होने के बाद उपलब्ध सूचना पत्र दिनांक 19-8-17 से प्रेषित कर दी गई थी। यह भी निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 27-9-17 की अनुपालना में श्री शिवदान सिंह, सहायक उप निरीक्षक, थाना लालकोठी को सम्बन्धित अभिलेखादि की तलाशी कर सूचना प्रदान करने हेतु लिखा गया तथा उनका स्पष्टीकरण भी चाहा गया, फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं होने पर पुलिस उपायुक्त, जयपुर पूर्व के पत्र दिनांक 16-10-17 द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय की पालना नहीं करने पर थानाधिकारी, बजाज नगर को श्री शिवदान सिंह, सहायक उप निरीक्षक, थाना लालकोठी के विरुद्ध उक्त परिवाद व अन्य पत्रावलियां जो थाना बजाज नगर पदस्थापन के दौरान उनको जांच/अनुसंधान हेतु प्रेषित की गई थी उनको गुम (खुर्दबुर्द) करने के सम्बन्ध में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये गये।

थानाधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 679/17 धारा 408, 166 अन्तर्गत भा.दं.सं. में दर्ज किया गया। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी को बिन्दुवार विनिश्चय/सूचना अपीलोत्तर की प्रति में संलग्न कर प्रेषित कर दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है से प्रत्यर्थी द्वारा पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध पत्रादि से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना के आवेदन के क्रम में समुचित कार्यवाही की गई है। अभिलेखानुसार अपीलार्थी को विनिश्चय/ सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त